ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/ER/2011/SDR Dated: 12th October, 2012

To

The Chief Electoral Officers
Of all States / Union Territories

Sub: Affidavits filed by the candidates with their nomination paper-uploading on website- regarding

Sir,

Attention is invited to the Commission's letter of even number dated 20thJuly, 2012 regarding uploading of the affidavits filed by the candidates on the website for dissemination of the information to the electors.

2. In the above mentioned letter, it was instructed that the scanned affidavits filed by the candidates of recognized political parties shall be put up on the website within 24 hours of filing of the affidavit and the affidavits filed by the other candidates (I.e. candidates set up by registered unrecognized political parties and independents) within 24 hours after finalization of the list of contesting candidates.

3. Now the Commission has reviewed the above instruction and has decided that the affidavit filed by all candidates, whether set up by the recognized political parties or unrecognized political parties or independents shall be put up on the website soon after the candidates file same and within 24 hours in any event. Even if any candidate withdraws his candidature, the affidavit already uploaded on the website shall not be removed.

4. These instructions shall be followed at all elections, i.e. general/biennial election and all bye-elections.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001.

सं. 3/ई.आर./2011/एस.डी.आर. दिनांक- 12 अक्टूबर, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विषय- अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र- वेबसाइट पर अपलोड करने- तत्संबंधी।

महोदय/या,

निर्वाचकों को सूचना प्रसारित करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने संबंधी आयोग के दिनांक 20 जुलाई, 2012 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उपर्युक्त पत्र में, यह अनुदेश दिया गया था कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्रों की स्कैन की गई प्रतियाँ शपथ-पत्र दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर वेबसाईट पर डाल दी जांएगी तथा अन्य अभ्यर्थियों (अर्थात पंजीक्रत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी तथा निर्दलीय अभ्यर्थी) द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रुप देने के 24 घंटे के भीतर अपलोड किए जाएगें।

3. अब, आयोग ने उपर्युक्त अनुदेश की समीक्षा की है तथा यह निर्णय लिया है कि सभी अभ्यर्थियों, चाहे वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हों, अथवा निर्दलीय हों, के द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्रों को अभ्यर्थियों द्वारा इसे दाखिल करने के तुरन्त पश्चात तथा किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर वेबसाईट पर डाला जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापिस भी ले लेता है, तो भी अपलोड किए गए शपथ पत्र को वेबसाईट से हटाया नहीं जाएगा।

4. इन अनुदेशों का सभी निर्वाचनों में पालन किया जाएगा, अर्थात साधारण/द्विवार्षिक निर्वाचन तथा सभी उप-निर्वाचन।

क्रप्या प्राप्ति सूचना भेजें।

भवदीय,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव